शब्दावली

विनियोग	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दन्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) के प्रति हुए वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
विनियोग विधेयक	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान किए जाने के बाद यथा-संभव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय किंतु जो संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरण में दर्शायी हुई राशि से किसी भी स्थिति में अधिर न हो की पूर्ति के ले अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
विनियोग अधिनियम	संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
भारत की समेकित निधि (.नि.स.आ)	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों। राजस्वों और कर्ज़ों का प्रवाह होता है। सीएफआई से समस्त व्यय दत्तमत अथवा प्रभारित विनियोग द्वारा किया जाता है। यह राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभागों से निर्मित है।
भारत की आकस्मिकता निधि	संसद द्वारा विधि अनुसार अग्रदाय के रूप में एक ऐसी आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं जिसमें से आपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके जब तक संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अंतर्गत इस प्रकार का व्यय संसद द्वारा विधि अनुसार प्राधिकृत न हो जाए।
अधिक अनुदान	ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान विनियोग कके पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दन्तमत), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दन्तमत) में प्राधिकृत राशियों से सार्थक रूप में बढ़ जाते हैं, अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
बाहय ऋण	सरकार द्वारा विदेशों से अधिकतर विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित ऋण अर्थात विश्व बैंक, आई.बी.आर.डी., आई.डी.ए. आदि से कर्जा।

आन्तरिक उधार	भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋण, आंतरिक उधार के अंतर्गत आते हैं, इसे "भारत में उठाया गया कर्ज" भी कहते हां। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
मुख्य शीर्ष	लेखे में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई, मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष एक प्राप्ति शीर्ष है या राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण शीर्ष है।
लघु शीर्ष	लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड आवंटित किया गया है, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहाँ कोई उप शीर्ष न हो) के अंतर्गत '001' से प्रारंभ होता है।
नई सेवा	इसका अभिप्राय पहले से संसद के संज्ञान में न लाये गए किसी नए नीतिगत निर्णय द्वारा उत्पन्न हुए तथा निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है जिसमें एक नया कार्यकलाप अथवा नए निवेश का तरीका शामिल होता है।
सेवा का नया साधन	किसी वर्तमान गतिविधि के एक महत्तवपूर्ण विस्तार से उत्तपन्न तथा निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक विशाल व्यय।
लोक लेखा	समेकित निधि में शामिल धन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त सभी प्रकार के धन को भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2))। इसमें 'कर्ज' से संबंधित ऐसे लेन-देन शामिल नहीं होते हैं जो समेकित निधि में शामिल नहीं होते। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दन्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेषित किए जाते हैं।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
राजस्व घाटा	यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर होता है।
अनुपूरक अनुदान	यह संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 (।) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।
बचत	जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती है।
दत्तमत अनुदान	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, दत्तमत अनुदान कहा जाता है।